न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामअवतार बनाम कल्पना वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 344/2025 (मौजमाबाद)

आ०स्वीकार/लिखा 21/7/25

	श्री मुकेश जैन	
21.07.2025	रामावतार बनाम कल्पना वगैरह (2025/344) यह अपील श्री मुकेश जैन एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 107/2025 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 2098 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 2100 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 404 रकबा 0.83 है0 व खसरा नम्बर 406 रकबा 0.77 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर(जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा)। उक्त विवादित आराजी के संदर्भ में राजस्व वाद संख्या 124/2004 वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 10 व अपीलांट की ओर से बउनवानी भवंरलाल बनाम कन्हैयालाल प्रस्तुत किया था। उक्त वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा दिनांक 09.12.2004 को स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई, जो कि आज दिनांक तक प्रभाव में है, जिसे आज दिवस तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। उक्त वाद में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 354/2015 प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.06.2025 के द्वारा खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील संख्या 5643/2025 प्रस्तुत की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है। इसी आराजी बाबत एक नया वाद वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 11/3 व 13 के द्वारा राजस्व वाद संख्या 164/2005 प्रस्तुत किया गया जो वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 125/2005 नये नम्बर 220/2013 प्रस्तुत किया गया जिस समय वर्तमान असल रेस्पोडेन्ट उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में प्रतिवादी संख्या 13/1 के रूप में पक्षकार है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में दिनांक 14.09.2005 में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जिसका निस्तारण नहीं होने पर वर्तमान अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय ने उक्त अपील को आंशिक स्वीकार कर तहत न्यायालय को 30 दिवस में प्रकरण का निस्तारण करने के दिशा निर्देश जारी किये गये और उक्त दिशा निर्देश की पालना में तहत न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.07.2025 को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को अंतिम रूप से खारिज किया गया। इन समस्त कार्यवाहीयों के चलते वर्तमान असल रेस्पोडेन्ट की ओर से एक नया वाद संख्या 126/2025 दिनांक 20.6.2025 को अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0एक्ट0 प्रस्तुत कर उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 प्रस्तुत कर पुनः दिनांक 20.6.2025 को	लगातार....

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामअवतार बनाम कल्पना वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 344/2025 (मौजमाबाद)

विवादित आराजी बाबत एक और एकपक्षीय रूप से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा गैर कानूनी रूप से प्राप्त कर ली।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थी की सुनवाई किये बिना एकतरफा में प्रार्थी जो विवादित आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार है को स्थगन आदेश से पाबंद किये जाने के आदेश पारित कर दिये, जिससे प्रार्थी अपनी आराजी का उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो रहा है। अतः प्रार्थी को गंभीर अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 की पालना, प्रभाव को स्थगित फरमाये जाने के आदेश पारित करावें।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट एवं व प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 10 के नाम विवादित आराजी की खातेदारी जरिये न्यायालय डिक्री दिनांक 09.12.2004 से प्राप्त हुई है। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध असल रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील को दिनांक 16.06.2025 को खारिज किया गया है, न्यायालय हाजा के निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील विचाराधीन है, इसके अतिरिक्त विवादित आराजीयात बाबत एक अन्य वाद वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 11/3 व 13 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2025 को खारिज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 164/2005 विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पक्षकार है। इसके बावजूद प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक नवीन राजस्व वाद 126/2025 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया।

यहां यह कहना उचित होगा की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही राजस्व वाद संख्या 164/2005 के साथ प्रस्तुत टी0आई0 प्रार्थना पत्र संख्या 125/2005 को अंतिम रूप से सुना जाकर टी0आई0 प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया तथा वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उसी वादग्रस्त आराजीयात बाबत नवीन राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया एवं पुनः उसी न्यायालय द्वारा उसी विवादित आरजीयात बाबत अंतरिम स्थगन आदेश जारी किये गये। वाद का निस्तारण तो गुणावगुण पर किया जायेगा किन्तु वादग्रस्त आराजीयात बाबत जिन आधारों पर पुनः एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किये गये वह प्रथम दृष्टया ही त्रुटि पूर्ण है। बार–बार एक ही विवादित आराजीयात बाबत अलग–अलग पक्षकारों द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र टी0आई0 प्रस्तुत कर बिना सुनवाई किये एकपक्षीय अंतरिम स्थगन प्राप्त कर वाद की बाहुल्यता को बढाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 को स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश अंतरिम आदेश है इस हेतु अभिभाषक

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामअवतार बनाम कल्पना वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 344/2025 (मौजमाबाद)

मुकेश जैन १८.

अपीलांट द्वारा 2021 आर0बी0जे पेज 222 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955– धारा 221 व 225 एस0डी0ओ0 द्वारा पारित अंतरिम आदेश अपील योग्य है इसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसका अंतरिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 107/2025 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। अभिभाषक अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 31.07.2025 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner